5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित, सरकारी स्कूलों ने मारी बाजी

इंदौर. मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री द्वारा कर दी गई. यदि कुल परिणाम की बात करें तो कक्षा 5वीं का कुल रिजल्ट 96 प्रतिशत रहा है, जबकि कक्षा 8 वीं का कुल परिणाम 94 प्रतिशत तक पहुंचा है.

इस वर्ष परिणामों में खास बात यह रही कि इंदौर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया स्थान हासिल किया. जिला शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट जहां 91.99 प्रतिशत रहा, वहीं सरकारी स्कूलों ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 93.74 प्रतिशत परिणाम दर्ज कर बाजी मार ली. कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी के बीच बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थीं. जिसके बाद 25 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया है. बुधवार को दोपहर में परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों और परिजनों ने ऑनलाइन ही रिजल्ट देखे. बच्चों के पास होने और अच्छे प्रतिशत बनने पर लोगों में खुशी का माहौल रहा.

पिंक फ्लावर के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके), मध्यप्रदेश द्वारा घोषित कक्षा 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में पिंक फ्लावर विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया. कक्षा 8वीं का परिणाम 100 प्रतिशत एवं कक्षा 5वीं का 98 प्रतिशत रहा. वहीं 95 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की. कक्षा 5वीं में कुशी नागले ने 94.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रियंशी मंडलोई 92.75 प्रतिशत के साथ द्वितीय एवं काव्या मालवीय 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहीं. कक्षा 8वीं में अशलेशा करंदीकर ने 94.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रुष्टि ठाकुर 93.66 प्रतिशत के साथ द्वितीय एवं आर्या खोट 93.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहीं. विद्यालय की प्राचार्या शांता सोनी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के सहयोग की सराहना की.

अब एमटीएच में बेड पर ही मिलेगी स्वच्छ और पौष्टिक थाली

नव भारत न्यूज

इंदौर. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय एमटीएच अस्पताल ने मरीजों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए सराहनीय पहल शुरू की है. अब अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को उनके बेड पर ही स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें भोजन के लिए भटकना या बर्तनों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, अस्पताल में प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं रेफर होकर आती हैं. इनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं और अपने साथ बर्तन नहीं ला पातीं, जिससे उन्हें भोजन प्राप्त करने में परेशानी होती थी. इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने बेड-टू-बेड थाली सेवा शुरू की है. नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में जाकर मरीजों को उनके बेड पर ही भोजन परोस रहे हैं. अस्पताल की ओर से पूरी तरह साफ-सुथरी और स्वच्छ थाली में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. इसमें स्वच्छता के साथ पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी अस्पताल अधीक्षक डॉ. अनुपमा दवे द्वारा की जा रही है, ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी प्रकार की कमी न हो. डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि मरीजों को केवल उपचार ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण वातावरण देना भी संस्थान का उद्देश्य है. इसी सोच के साथ यह पहल शुरू की गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वच्छ भोजन मिल सके. एमटीएच अस्पताल प्रदेशभर से आने वाले जटिल प्रसव मामलों का प्रमुख केंद्र है.

पीएनबी लोन घोटाला : ईडी ने 4 करोड़ की संपत्ति की अटैच

- कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 3.50 करोड़ का लोन लेकर राशि को किया डायवर्जन
- धार-खरगोन की कृषि भूमि पर कार्रवाई, सीबीआई केस के आधार पर जांच
- बैंक को 3.36 करोड़ का नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच जारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करोड़ों के लोन में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की तीन अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई धार निवासी राम पाटीदार, संचालक एम/एस नर्मदा शीत गृह, के खिलाफ की गई है. अटैच की गई संपत्तियां धार और खरगोन जिलों में स्थित कृषि भूमि हैं.

ईडी की अधिकृत जानकारी के अनुसार ईडी की इंदौर सब-जोनल ऑफिस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी ने बैंक से लिए गए लोन का दुरुपयोग किया. जांच एजेंसी के अनुसार राम पाटीदार ने पंजाब नेशनल बैंक से कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था, लेकिन इस राशि को निर्धारित कार्य में लगाने के बजाय अपने और सहयोगियों के विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि इस हेराफेरी से बैंक को लगभग 3.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि आरोपी और उसके सहयोगियों को समान राशि का अवैध लाभ मिला. मामले में परमानंद पाटीदार, महेंद्र पाटीदार और मिथुन डावर सहित अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है. फिलहाल ईडी मामले की आगे जांच कर रही है और अन्य संपत्तियों की पड़ताल जारी है.

क्या है पूरा मामला...

इस प्रकरण की शुरुआत सीबीआई जबलपुर द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई, जिसमें राम पाटीदार और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. आरोप है कि आरोपी ने बैंक से लोन लेने के बाद तय उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए राशि का उपयोग नहीं किया. इसके बजाय लोन की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर निजी उपयोग में लिया. ईडी की जांच में यह लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में पाया गया, जिसके आधार पर अब संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई है. एजेंसी इस मामले में जुड़े अन्य लोगों और संभावित संपत्तियों की भी जांच कर रही है.

गोलकुंडा कॉलोनी संचालकों को टीएनसीपी ने दिया अंतिम नोटिस

- औद्योगिक उपयोग की जमीन पर काटी आवासीय कॉलोनी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के सुपर कॉरिडोर से लगी आईसीजी गोलकुंडा कॉलोनी संचालकों को टीएनसीपी ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में कॉलोनी संचालकों को टीएनसीपी ने अंतिम अवसर जवाब देने का दिया है और अनुमति निरस्त करने का उल्लेख भी है. खास बात यह है कि बाद गोलकुंडा कॉलोनी के संचालकों ने मास्टर प्लान का उपयोग छिपाकर और छलकपट करके आवासीय कॉलोनी की अनुमति टीएनसीपी से ली है.

मल्हारगंज तहसील में स्थित सुपर कॉरिडोर पर गांव टिगरिया बादशाह में 26 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आईसीजी गोलकुंडा आवासीय कॉलोनी काटी गई है. गोलकुंडा कॉलोनी की अनुमति महेंद्र एवं सचिन पिता पुरुषोत्तम पाटीदार द्वारा ली गई है, जिसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा जमीन का उपयोग मास्टर प्लान में औद्योगिक है. टीएनसीपी से अनुमति लैंड के लिए कॉलोनाइजर पाटीदार बंधुओं ने मास्टर प्लान में जमीन का उपयोग औद्योगिक होने की बात छुपाकर, छलपूर्वक झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुमति ली है. उक्त मामले के शिकायत अधिवक्ता विनोद कुमार वर्मा ने टीएनसीए को की है. इसके बाद टीएनसीपी ने 8 दिसंबर 25 को 3866 पत्र क्रमांक से पहला नोटिस जारी किया था. फिर 12 फरवरी 26 को पत्र क्रमांक 583 से दूसरा नोटिस जारी किया, लेकिन कॉलोनी संचालक महेंद्र और सचिन पिता पुरषोत्तम पाटीदार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया. टीएनसीपी ने 18 मार्च को पत्र क्रमांक 1141 से अंतिम अवसर देते हुए नोटिस दिया है. इसके बाद टीएनसीपी अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई करेगा

डिटेल्स कम्प्यूटर से हटाई...

ध्यान रहे कि नव भारत ने पूर्व में भी इस मामले को लेकर टीएनसीपी की कार्य शैली पर सवाल उठाए थे. उक्त कॉलोनी और खसरे पर जारी अनुमति की डिटेल्स कंप्यूटर से हटा दी गई है. ऑनलाइन कंप्यूटर अब उक्त गोलकुंडा कॉलोनी अनुमति को नहीं दिखा रहा है. इससे समझा जा सकता है कि नियमों को ताक में रख कर अनुमति जारी की गई है.

जानकारी लिए बगैर विकास अनुमति दी-ग्राम टिगरिया बादशाह स्थित गोलकुंडा कॉलोनी 300 सौ प्लाटों के कॉलोनी है, जो 10.93 हेक्टेयर पर औद्योगिक उपयोग की जमीन पर आवासीय बनाकर बेची गई है. उक्त कॉलोनी में जीवन भर की कमाई खर्च प्लॉट खरीदने वाले लोगों के साथ टीएनसीपी और जमीन मालिकों ने सीधा धोखा कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने भी टीएनसीपी से जानकारी लिए बगैर विकास अनुमति जारी कर दी है. नोटिस में मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1973 एवं टीएनसीपी 2012 के प्रावधानों के तहत अनुमति निरस्ती की कार्रवाई करने का उल्लेख है.

विश्व मिर्गी दिवस | न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश चौकसे ने दी महत्वपूर्ण जानकारियां

मिर्गी के साथ जीना सीखिए

इंदौर. मिर्गी को लेकर हमारे समाज में जितनी गलतफहमियां हैं, शायद किसी और बीमारी को लेकर नहीं. कोई इसे भूत का असर मानता है, कोई पागलपन की निशानी. लेकिन इंदौर के कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश चौकसे साफ कहते हैं- मिर्गी न मानसिक बीमारी है, न शाप. यह दिमाग की उन विद्युत तरंगों का असंतुलन है, जिसे सही इलाज से काबू में लाया जा सकता है..

दरअसल, हमारा दिमाग लगातार विद्युत संकेतों के जरिए काम करता है. जब ये संकेत अचानक अनियंत्रित हो जाते हैं, तो दौरा पड़ता है. यह दौरा हर इंसान में अलग दिखता है- किसी में बेहोशी आती है, किसी का शरीर अकड़ता है, तो किसी को बस कुछ पलों के लिए अजीब-सा महसूस होता है. मिर्गी के इलाज में सबसे बड़ी बाधा खुद मरीज बन जाते हैं. जैसे ही दो-चार महीने दौरा नहीं आया, वे दवा छोड़ देते हैं. यह सबसे घातक गलती है. डॉ. चौकसे बताते हैं कि नियमित दवा और डॉक्टर की निगरानी-

ये दो चीजें मिर्गी के इलाज की रीढ़ हैं। दवा की खुराक बदलनी हो, या बंद करनी हो- यह फैसला डॉक्टर से पूछकर ही करें. जो लोग इस अनुशासन को निभाते हैं, उनमें से अधिकांश पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं. डॉ. चौकसे कहते हैं उनके पास ऐसे मरीज आते हैं जो इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, खिलाड़ी हैं। मिर्गी उनकी पहचान नहीं है बल्कि वे खुद अपनी पहचान हैं. दुनिया में कई ऐसी जानी-मानी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने मिर्गी के साथ जीते हुए अपनी अलग पहचान बनाई. हैं. बीमारी ने उनकी काबिलियत नहीं छीनी, बस एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी, खुद का ख्याल रखने की.

नींद और तनाव, दो सबसे बड़े दुश्मन

नींद की कमी और मानसिक तनाव दौरों को सीधे भड़काते हैं. रात को देर तक जागना, परीक्षा या काम का अत्यधिक दबाव- ये सब ट्रिगर बन सकते हैं. इसलिए पर्याप्त नींद, समय पर खाना और मानसिक शांति बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितनी दवा. रोज़ाना थोड़ा वक्त योग या ध्यान को देना सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी संतुलित रखता है. जिन मरीजों को बार-बार दौरे आते हैं, उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. ऊंचाई पर काम करना, अकेले तैराकी करना या भारी मशीनरी चलाना, ये काम दौरे के दौरान जानलेवा साबित हो सकते हैं.

सामाजिक डर सबसे बड़ी समस्या

बहुत से मरीज अपनी तकलीफ इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे. नतीजा? वे अकेले टूटते रहते हैं. डॉ. चौकसे का मानना है कि खुलकर बात करना, परिवार और दोस्तों को स्थिति से अवगत कराना चाहिए। यह न सिर्फ मानसिक बोझ कम करता है, बल्कि सही समय पर मदद भी सुनिश्चित करता है.